

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु  
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
कैमूर / पटना / रोहतास / किशनगंज / लखीसराय / जहानाबाद / पश्चिम चम्पारण / सुपौल /  
गोपालगंज / सारण।

पटना-15, दिनांक- 11/3/19

विशय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष -102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष -0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड-39-2245801020005 मद में कुल ₹42.725 लाख (बेयालीस लाख बहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष -102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष -0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध।

उपशीर्ष -0005-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण

मांग संख्या- 39, विस्तृत शीर्ष- 28-व्यावसायिक सेवाएँ, विषय शीर्ष- 02-संविदा सेवाएँ  
(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	कैमूर	7.53 (सात लाख तिरपन हजार)	5.20 (पाँच लाख बीस हजार)	12.73 (बारह लाख तिहत्तर हजार)
2	पटना	7.51 (सात लाख इक्यावन हजार)	3.00 (तीन लाख)	10.51 (दस लाख इक्यावन हजार)
3	रोहतास	1.29 (एक लाख उनतीस हजार)	1.96 (एक लाख छियानवे हजार)	3.25 (तीन लाख पच्चीस हजार)
4	किशनगंज	6.34 (छः लाख चौतीस हजार)	2.657 (दो लाख पैसठ हजार सात सौ)	8.997 (आठ लाख निन्वानवे हजार सात सौ)
5	लखीसराय	2.00 (दो लाख)	2.50 (दो लाख पचास हजार)	4.50 (चार लाख पचास हजार)
6	जहानाबाद	14.93 (चौदह लाख तिरानवे हजार)	0.209 (बीस हजार नौ सौ)	15.139 (पंद्रह लाख तेरह हजार नौ सौ)
7	पश्चिम चम्पारण	14.14 (चौदह लाख चौदह हजार)	1.35 (एक लाख पैतीस हजार)	15.49 (पंद्रह हजार उनचास हजार)
8	सुपौल	7.67 (सात लाख सडसठ हजार)	7.319 (सात लाख इकतीस हजार नौ सौ)	14.989 (चौदह लाख अनठानवे हजार नौ सौ)
9	गोपालगंज	9.80 (नौ लाख अस्सी हजार)	13.00 (तेरह लाख)	22.80 (बाईस लाख अस्सी हजार)
10	सारण	7.25 (सात लाख पच्चीस हजार)	5.53 (पाँच लाख तिरपन हजार)	12.78 (बारह लाख अठहत्तर हजार)
	कुल योग	78.46 (अठहत्तर लाख छियालीस हजार)	42.725 (बेयालीस लाख बहत्तर हजार पाँच सौ)	121.185 (एक करोड़ इक्कीस लाख अठारह हजार पाँच सौ)

यह आवंटन जिला पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक 139 दिनांक 26.02.19/पटना के पत्रांक 310 दिनांक 22.02.19/रोहतास के पत्रांक 80 दिनांक 16.02.19/किशनगंज के पत्रांक 117 दिनांक 14.02.19/लखीसराय के पत्रांक 73 दिनांक 18.02.19/जहानाबाद के पत्रांक 62 दिनांक 08.02.19/पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 17 दिनांक 15.02.19/सुपौल के पत्रांक 67-2 दिनांक 23.01.19/गोपालगंज के पत्रांक 58 दिनांक 21.01.19/सारण के पत्रांक 46 दिनांक 19.01.19 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक 1982/आ0प्र0 दिनांक 10.07.2017 द्वारा आवंटित राशि से राज्य एवं जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्रों के सृष्टीकरण के निमित्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आईटी0 बॉय के पारिश्रमिक भुगतान हेतु व्यय किया जाय।

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

7 पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

8 आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्रा पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9 इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

10 यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11 इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

12 इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

13 मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
अपर सचिव

ज्ञापांक ११ / आ0प्र0, पटना- 15, दिनांक 11/3/19

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर सचिव

मुख्यालय- 2245-80-102-0005-जयपुरकला एवं शमल निर्माण पत्राक- ११ दिनांक- 1/3/19  
ज्ञापांक- ११ / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 1/3/19  
प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव

ज्ञापांक- ११ / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 1/3/19  
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव

ज्ञापांक- ११ / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 1/3/19  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर सचिव

ज्ञापांक- ११ / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक- 1/3/19  
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई०टी० मैनेजर/ प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव